पटना उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

2021 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 18845

==========

राकेश कुमार यादव, पिता- प्रसादी यादव निवासी- एस. एल. कॉलोनी, सरकारी बस डिपो के पास, बरारी रोड, थाना-तिलकामांझी, जिला-भागलपुर।

.... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना।
3. पुलिस महानिरीक्षक, मध्य रेंज, पटना, बिहार।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना, बिहार।
5. पुलिस अधीक्षक, आबकारी, बिहार, पटना।

.... उत्तरदाता/गण

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री मृगांक मौली, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री प्रिंस कुमार मिश्रा,
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	:	श्री मनीष कुमार (जीपी-4)
		श्री अजय कुमार, ए. सी. से जीपी-4

==========

रिट - डीजीपी द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई जिसके द्वारा आईजीपी द्वारा पारित दंड आदेश को बढ़ाया गया था।

याचिकाकर्ता को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था.

माना गया - चूंकि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा सजा के आदेश के पारित होने के लगभग नौ महीने बीत जाने के बाद पुलिस महानिदेशक द्वारा पुनरीक्षण आदेश पारित किया गया है, इसलिए पुलिस महानिदेशक याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सजा को संशोधित नहीं कर सकते थे। (पैरा 12)

रिट की अनुमति है. (पैरा 14)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

==========

समक्षः- माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक आदेश

तारीखः16-04-2024

वर्तमान रिट याचिका पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2021 को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 853 ए के तहत समीक्षा की शक्ति के कथित प्रयोग में, पुलिस महानिरीक्षक, सेंट्रल रेंज, पटना द्वारा पारित दिनांक 14.12.2020 के दंड के मूल आदेश को रद्द कर दिया गया है और इसके बजाय याचिकाकर्ता को बिहार सरकार सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 2005 (जिसे आगे 'नियम, 2005' कहा जाएगा) के नियम 14 (ix) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दी गई है और यह आगे निर्धारित किया गया है कि निलंबन की अवधि के लिए, याचिकाकर्ता को पहले से प्राप्त अवकाश के अलावा कुछ भी पाने का अधिकार नहीं होगा और उक्त अवधि को अर्धअर्जित अवकाश के रूप में समायोजित किया जाएगा।

2. याचिकाकर्ता के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता 05.09.1994 को प्रतिवादियों की सेवा में उप-निरीक्षक के रूप में शामिल हुआ और तब से वह सभी की संतुष्टि के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। इसके बाद, याचिकाकर्ता को वर्ष 2014 में इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया। यह कहा गया है कि जब याचिकाकर्ता बेउर पुलिस स्टेशन में स्टेशन हाउस ऑफिसर के रूप में तैनात था, तब अमरेंद्र कुमार नामक व्यक्ति

द्वारा की गई शिकायत के आधार पर एक जाल बिछाया गया और 29.06.2017 को छापेमारी की गई, जिसमें याचिकाकर्ता को शिकायतकर्ता अमरेंद्र कुमार से 1,25,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके बाद विजिलेंस पी.एस. मामला संख्या 50/2017 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7/13(2) सहपठित धारा 13(1)डी के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता को दिनांक 29.06.2017 के आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया और विभागीय कार्यवाही वाद संख्या 146/2017 के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू की गई, जिसके बाद याचिकाकर्ता को पुलिस उप महानिरीक्षक, सेंट्रल रेंज, पटना द्वारा दिनांक 14.07.2017 को आरोप ज्ञापन के तहत तामील कराया गया। इसी बीच, विशेष न्यायाधीश, सतर्कता (ट्रैप मामले), पटना ने विशेष मामला संख्या 42/2017 (सतर्कता मामला संख्या 50/2017 से उत्पन्न) में दिनांक 11.01.2019 को पारित निर्णय के तहत उपरोक्त सतर्कता मामले में याचिकाकर्ता को बरी कर दिया, क्योंकि एक गवाह यानी पी.डब्ल्यू. 6, अर्थात्, सुरेश तिवारी, जिन्हें सत्यापनकर्ता बताया गया है, ने अपनी मुख्य परीक्षा/जिरह में कहा था कि उन्होंने न तो याचिकाकर्ता को रिश्वत लेते देखा था और न ही उसे अपने दराज में पैसे रखते देखा था।

3. फिर भी, जांच अधिकारी ने जांच की और दिनांक 20.10.2020 को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप इस आधार पर सिद्ध पाए गए कि आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान कई प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का पालन करने की आवश्यकता होती है, माननीय न्यायालय के समक्ष, गवाह अपने बयान से पलट जाते हैं, इसलिए आपराधिक मामले में उनके बरी होने के मद्देनजर याचिकाकर्ता को कोई लाभ

नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद पुलिस महानिरीक्षक, सेंट्रल रेंज, पटना ने दिनांक 14.12.2020 को दण्ड आदेश पारित किया था, जिसमें दो काले निशानों के बराबर एक वार्षिक वेतन वृद्धि को गैर-संचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया गया था, साथ ही यह भी माना गया था कि निलंबन अवधि के लिए याचिकाकर्ता को जीवन निर्वाह भत्ते के मद में पहले से भुगतान की गई राशि के अलावा किसी अन्य चीज का हकदार नहीं होगा।

4. यद्यपि याचिकाकर्ता ने दिनांक 14.12.2020 के उक्त दण्ड आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर न करना उचित समझा था, तथापि, पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक), बिहार, पटना ने दिनांक 27.07.2021 को कारण बताओ नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता को 15 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण दाखिल करने को कहा था, इस तथ्य के मद्देनजर कि बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 853 ए के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत दिनांक 14.12.2020 के आदेश के तहत उस पर लगाए गए दण्ड की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। याचिकाकर्ता ने इसके बाद 09.08.2021 को अपना जवाब दाखिल किया था, फिर भी, पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना ने 27.09.2021 के ज्ञापन में निहित 23.09.2021 के आक्षेपित आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिए गए दंड को 14.12.2020 के आदेश के तहत रद्द कर दिया है और इसके बजाय याचिकाकर्ता को नियम, 2005 के नियम 14(ix) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दी है। याचिकाकर्ता इस तरह से इस न्यायालय के समक्ष है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने शुरू में दलील दी कि 20.10.2020 की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि इस निष्कर्ष

पर पहुंचने के लिए कोई भी सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का दोषी है, खासकर इस तथ्य के मद्देनजर कि शिकायतकर्ता ने खुद जांच अधिकारी के सामने कहा है कि न तो वह कभी पुलिस स्टेशन गया था, न ही किसी ने उससे कोई पैसा मांगा था, न ही उसने किसी पुलिस कर्मी को कोई पैसा दिया था और न ही उसने कभी किसी पुलिस स्टेशन में कोई मामला दर्ज कराया था, सिवाय इस बात के कि सतर्कता विभाग के अधिकारी श्री सुरेश तिवारी ने 3-4 खाली कागजों पर उसके जबरन हस्ताक्षर लिए थे। यह दलील दी गई है कि जहां तक गवाह संख्या 2 से 4 का सवाल है, वे औपचारिक गवाह हैं और उन्होंने केवल विभिन्न दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर को साबित किया है। जहां तक गवाह संख्या 5 का सवाल है, यानी श्री सुरेश तिवारी, पुलिस उपनिरीक्षक (सेवानिवृत्त), सतर्कता जांच ब्यूरो, उन्हें सत्यापनकर्ता बताया गया है, जिन्होंने ट्रैप से पहले और ट्रैप के बाद का ज्ञापन तैयार किया था। हालांकि, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया कि पी.डब्लू. 6 के रूप में विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपने मुख्य परीक्षा में, हालांकि उन्होंने प्री-ट्रैप और पोस्ट ट्रैप मेमो पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की है, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने याचिकाकर्ता को शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते या अपनी मेज के दराज में पैसे रखते नहीं देखा। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामला बिना सबूत का मामला है, इसलिए 20.10.2020 की ऐसी जांच रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए, समीक्षा अधिकारी 14.12.2020 के सजा के मूल आदेश को रद्द नहीं कर सकते थे और अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा देते हुए दिनांक 23/27.09.2021 का विवादित आदेश पारित नहीं कर सकते थे। इसके अलावा, पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना ने अपने दिनांक

23/27.09.2021 के आदेश में याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 09.08.2021 को प्रस्तुत कारण बताओ उत्तर को केवल यह कहकर खारिज कर दिया है कि कोई नया तथ्य नहीं बताया गया है और याचिकाकर्ता को बिना कोई कारण बताए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दी है, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ उत्तर पर विचार किए बिना, ताकि एक भिन्न दृष्टिकोण लिया जा सके, अर्थात अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 14.12.2020 के अपने दंड आदेश में लिए गए दृष्टिकोण के अलावा, इसमें कोई स्पष्ट, ठोस और संक्षिप्त कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, ताकि याचिकाकर्ता को दिनांक 14.12.2020 के आदेश के तहत पहले से दी गई सजा को बढ़ाने का औचित्य सिद्ध हो सके। यह दलील दी गई है कि यह एक सामान्य कानून है कि विवादित आदेश के समर्थन में स्पष्ट, ठोस और संक्षिप्त कारण प्रस्तुत करना निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा **दिनांक 21.09.2023 को सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 17189/2015 (श्रीमती आभा कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य)** में पारित निर्णय तथा **दिनांक 05.01.2024 को सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 16616/2021 (सुनील कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य)** में पारित निर्णय का संदर्भ दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **ओरिक्स फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ** के मामले में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट **(2010) 13 एस.सी.सी. 427** में दी गई है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पुलिस महानिरीक्षक (बजट, अपील एवं कल्याण), बिहार, पटना द्वारा जारी दिनांक 25.01.2018 के पत्र का हवाला देते हुए आगे प्रस्तुत किया है कि यह स्पष्ट किया गया है कि नियम

14(vi) से (xi) नियम 2005 में निर्धारित अनुसार बड़े दंड लगाते समय, नियम 17 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और बिना जांच किए ऐसे दंड लगाने का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। उक्त आदेश दिनांक 25.1.2018 यह भी मानता है कि नियम, 2005 के नियम 18 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और नियम, 2005 के नियम 23 से 27 के तहत उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार अपील का निपटारा किया जाएगा। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि किसी दोषी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने के प्रयोजनों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को पुलिस महानिरीक्षक (बजट, अपील और कल्याण), बिहार, पटना द्वारा दिनांक 30.04.2019 को जारी एक पत्र में भी विस्तृत किया गया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि नियम, 2005 के नियम 30 के अनुसार, उक्त नियम, 2005 का अन्य सभी नियमों पर अधिभावी प्रभाव होगा, इसलिए विभागीय कार्यवाही संचालित की जानी है और दंड देने का अंतिम आदेश नियम, 2005 के आदेश के अनुसार पारित किया जाना है। उक्त परिपत्र दिनांक 30.04.2019 आगे यह मानता है कि सभी प्रयोजनों के लिए अर्थात् विभागीय कार्यवाही और उससे संबंधित मामलों में नियम, 2005 में निहित प्रावधानों का बिना किसी त्रुटि के पालन किया जाना है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि प्रतिवादियों ने पहले ही नियम, 2005 को अपना लिया है और इसमें निहित प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है, इसलिए नियम, 2005 के नियम 28 का अनुपालन करना पुनरीक्षण प्राधिकरण के लिए आवश्यक था/है, जिसमें यह प्रावधान है कि संशोधित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के छह महीने बीत जाने के बाद किसी भी पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा कोई जुर्माना लगाने या बढ़ाने का कोई आदेश नहीं दिया

जाएगा। हालाँकि, वर्तमान मामले में हालाँकि सजा का मूल आदेश 14.12.2020 को पारित किया गया था, पुनरीक्षण आदेश केवल 23/27.09.2021 को पारित किया गया है, यानी नौ महीने बीत जाने के बाद। इस प्रकार, केवल इसी आधार पर, 23.09.2021 का आक्षेपित आदेश, जैसा कि 27.09.2021 के ज्ञापन में निहित है, अपास्त किए जाने योग्य है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा **08.01.2024 को सीडब्ल्यूजेसी संख्या 14339/2022 (अंजनी कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य)** में पारित निर्णय का संदर्भ दिया गया है, साथ ही इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा **06.01.2021 को सीडब्ल्यूजेसी संख्या 7906/2020 (अनंजय सिंह @ अनंजय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य)** में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ दिया गया है, जिसे **2021(1) पीएलजेआर 473** में रिपोर्ट किया गया है।

7. इसके विपरीत, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता के संबंध में विभागीय कार्यवाही के संचालन में कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं है, इसलिए यह न्यायालय अपील में नहीं बैठेगा और साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करेगा। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम स्मिता शरद देशमुख एवं अन्य** के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट **(2017)4 एससीसी 75** में दी गई है। प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि **काशी नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य** के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने दिनांक 29.03.2019 के निर्णय द्वारा, जिसकी रिपोर्ट **(2019) 2 पीएलजेआर 293** में दी गई है, यह माना है कि जब तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत सरकार द्वारा भर्ती, नियुक्ति आदि की प्रक्रिया के

संबंध में वैधानिक नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक राज्य सरकार निश्चित रूप से भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, दंड, स्थानांतरण, छुट्टी, सेवानिवृत्ति आदि के मामलों में पालन किए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में प्रशासनिक/कार्यकारी निर्देश/दिशानिर्देश जारी कर सकती है, इसलिए बिहार पुलिस मैनुअल इस क्षेत्र को नियंत्रित करेगा। जब तक राज्य सरकार द्वारा विधायी अधिनियम द्वारा उपरोक्त मामलों से संबंधित वैधानिक नियम नहीं बनाए जाते। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बिहार पुलिस मैनुअल का नियम 853 ए नियम, 2005 के नियम 28 में निहित प्रावधान को अधिरोहित करेगा, इसलिए छह महीने का प्रतिबंध पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना द्वारा पुनरीक्षण आदेश पारित करने में बाधा नहीं होगा क्योंकि बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 853 ए के तहत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील ने समर बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक फैसले पर भरोसा किया है, (2011) 9 एससीसी 94 में रिपोर्ट किया गया है कि आपराधिक मामले में बरी होने का विभागीय कार्यवाही के तथ्यों पर कोई असर या प्रासंगिकता नहीं होगी क्योंकि दोनों मामलों में सबूत के मानक पूरी तरह से अलग हैं। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सी. नागराजू एवं अन्य** के मामले में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट **(2019) 10 एससीसी 367** में दी गई है। इस प्रकार, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों तथा साथ ही ऊपर उल्लिखित सुस्थापित कानून को ध्यान में

रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाना उचित है।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है। तथ्य सीमित दायरे में हैं, क्योंकि जाल बिछाया गया था, जिसके बाद 29.06.2017 को छापा मारा गया तथा याचिकाकर्ता को शिकायतकर्ता अमरेंद्र कुमार से 1,25,000/- रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7/13(2) सहपठित धारा 13(1)डी के अंतर्गत सतर्कता पी.एस. मामला संख्या 50/2017 दर्ज किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता को 29.06.2017 के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया और याचिकाकर्ता के विरुद्ध पुलिस उप महानिरीक्षक, सेंट्रल रेंज, पटना द्वारा दिनांक 14.07.2017 को आरोप पत्र जारी किया गया। हालांकि, इस बीच, याचिकाकर्ता को 11.01.2019 के एक फैसले द्वारा उपरोक्त आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया। बहरहाल, जांच अधिकारी ने जांच जारी रखी और 20.10.2020 को अपनी जांच रिपोर्ट पेश की, जिसमें पाया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप इस अजीब सादृश्य पर साबित हुए हैं कि चूंकि आपराधिक मुकदमे के दौरान कई प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का पालन करने की आवश्यकता होती है, गवाह आमतौर पर मुकर जाते हैं, इसलिए आपराधिक मामले में उसके बरी होने के मद्देनजर याचिकाकर्ता को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। तत्पश्चात पुलिस महानिरीक्षक, सेंट्रल रेंज, पटना ने दिनांक 14.12.2020 को दण्ड आदेश पारित किया था, जिसमें दो काले निशानों के बराबर एक वार्षिक वेतन वृद्धि गैर-संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया था, साथ ही

यह माना गया था कि निलंबन अवधि के लिए याचिकाकर्ता को जीवन निर्वाह भत्ते के मद में पहले से भुगतान की गई राशि के अलावा कुछ भी पाने का अधिकार नहीं होगा। तब याचिकाकर्ता ने दिनांक 14.12.2020 के उक्त दण्ड आदेश से संतुष्ट होना उचित समझा था और कोई अपील दायर नहीं की थी। फिर भी, पुनरीक्षण प्राधिकार ने दण्ड की समीक्षा करने का निर्णय लिया, इसलिए याचिकाकर्ता को दिनांक 27.07.2021 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिस पर याचिकाकर्ता ने दिनांक 09.08.2021 को विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया था और फिर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना ने दिनांक 14.12.2020 को एक आदेश जारी किया था। 23/27.09.2021 को याचिकाकर्ता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दी गई थी।

9. इस न्यायालय ने पाया कि दिनांक 20.10.2020 की जांच रिपोर्ट किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, क्योंकि शिकायतकर्ता स्वयं अपने बयान से पलट गया है और जांच अधिकारी के समक्ष कहा है कि न तो वह कभी पुलिस स्टेशन गया था, न ही किसी ने उससे कोई पैसा मांगा था, न ही उसने किसी पुलिस कर्मी को कोई पैसा दिया था और न ही उसने कभी किसी पुलिस स्टेशन में कोई मामला दर्ज कराया था, सिवाय इसके कि सतर्कता विभाग के अधिकारी श्री सुरेश तिवारी ने 3-4 खाली कागजों पर उसके जबरन हस्ताक्षर लिए थे। इसके अलावा, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कोई गवाह पेश नहीं किया गया है, जिसके बारे में कहा गया है कि उसने याचिकाकर्ता को रिश्वत लेते या रिश्वत के पैसे अपने दराज में रखते हुए देखा था। फिर भी, इस न्यायालय को लगता है कि तथ्यों के एक ही सेट के आधार पर, पुनरीक्षण प्राधिकरण ने दिनांक 23/27.09.2021 को एक आदेश पारित किया है, जिसमें याचिकाकर्ता

को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दी गई है, जो किसी भी सबूत पर आधारित नहीं है और न ही याचिकाकर्ता द्वारा 09.08.2021 को दायर जवाब से निपटता है, यह एक गूढ और अतार्किक आदेश है, जो पूरी तरह से दिमाग का उपयोग न करने को दर्शाता है, इस तथ्य के अलावा कि यह पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए कोई कारण नहीं बताता है, यानी अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा अपने दंड के आदेश दिनांक 14.12.2020 के अलावा कोई स्पष्ट, ठोस या संक्षिप्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक है, ताकि याचिकाकर्ता पर पहले से लगाए गए दंड को बढ़ाने का वारंट हो सके, इसलिए आरोपित आदेश दिनांक 23/27.09.2021 को केवल उक्त आधार पर रद्द किया जाना उचित है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **ओरिक्स फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड** (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय और इस न्यायालय द्वारा **आभा कुमारी** (सुप्रा) और **सुनील कुमार** (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णयों का संदर्भ लिया जाना चाहिए।

10. मामले का एक और पहलू यह है कि क्या पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना द्वारा पारित दिनांक 23/27.09.2021 का आदेश, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक, मध्य क्षेत्र, पटना द्वारा पारित दिनांक 14.12.2020 के आदेश के तहत दी गई सजा को बढ़ाया गया था, नियमावली, 2005 के नियम 28 के अनुसार छह महीने बीत जाने के बाद पारित किया जा सकता था या बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 853 ए के अनुसार पुनरीक्षण आदेश पारित करने की कोई समय सीमा नहीं है। इस न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादियों ने स्वयं क्रमशः दिनांक 25.01.2018 और 30.4.2019 को परिपत्र जारी किए हैं, जिसमें

यह कहा गया है कि नियम, 2005 में निर्धारित प्रक्रिया प्रतिवादियों के कर्मचारियों/पुलिस कर्मियों पर लागू होगी, जहां तक अनुशासनात्मक कार्यवाही और उससे संबंधित मामलों का संबंध है, इस तथ्य के अलावा कि नियम, 2005 का नियम 30 के संदर्भ में अधिभावी प्रभाव होगा, इसलिए इस न्यायालय का विचार है कि नियम, 2005 क्षेत्र को नियंत्रित करेगा और बिहार पुलिस मैनुअल में निहित प्रावधानों का वर्तमान मामले या वर्तमान मामले जैसे में कोई आवेदन नहीं होगा।

11. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, काशी नाथ सिंह (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की विद्वान पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित कानून वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियां उक्त मामले से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। मामले का यह पहलू इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा **अनंजय सिंह उर्फ अनंजय कुमार सिंह** (सुप्रा) मामले में दिए गए निर्णय तथा इस न्यायालय द्वारा **अविनाश चंद्र** (सुप्रा) मामले में दिए गए निर्णय में स्पष्ट रूप से शामिल है। मामले का एक अन्य पहलू यह है कि प्रतिवादियों को दोहरा मापदंड बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि एक ओर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना ने नियमावली, 2005 के नियम 14 (ix) के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड देते हुए दिनांक 27.09.2021 का आदेश पारित किया है, जबकि उक्त आदेश को उचित ठहराने के लिए बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 853A का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि पुनरीक्षण आदेश पारित करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जो स्पष्ट रूप से अवैध है और वर्तमान मामला निश्चित रूप से नियमावली, 2005 के नियम 28 में निहित प्रावधानों द्वारा

शासित होगा, जो यह निर्धारित करता है कि संशोधित किए जाने वाले आदेश के छह महीने बीत जाने के बाद किसी भी पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा कोई दंड लगाने या बढ़ाने का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए, चूंकि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 14.12.2020 को दंड के आदेश पारित होने के लगभग नौ महीने बीत जाने के बाद पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 23/27.09.2021 का पुनरीक्षण आदेश पारित किया गया है, इसलिए यह न्यायालय मानता है कि पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना, नियम 2005 के नियम 28 के अनुसार, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 14.12.2020 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को दी गई सजा को छह महीने की अवधि बीत जाने के बाद संशोधित नहीं कर सकते थे।

12. इस प्रकार, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दंड के आदेश पारित करने के नौ महीने बाद पारित पुनरीक्षण आदेश दिनांक 23/27.09.2021, नियम 2005 के नियम 28 के विपरीत होने के कारण, अपास्त किया जाता है। पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना द्वारा पारित ज्ञापन दिनांक 27.09.2021 में निहित पुनरीक्षण आदेश दिनांक 23.09.2021 को रद्द करने के परिणामस्वरूप, पुलिस महानिरीक्षक, सेंट्रल रेंज, पटना द्वारा पारित दंड का आदेश दिनांक 14.12.2020 को पुनर्जीवित/बहाल किया जाता है। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को सेवा में वापस बहाल करने का निर्देश दिया जाता है। इस न्यायालय ने आगे पाया कि चूंकि अनुशासनात्मक कार्यवाही विशेष रूप से दिनांक 14.12.2020 को पुलिस महानिरीक्षक, सेंट्रल रेंज, पटना द्वारा दंड आदेश पारित करने के बाद के चरण में, स्पष्ट रूप से दुर्भावना से प्रेरित है और चूंकि पुनरीक्षण प्राधिकारी की कार्रवाई किसी तरह से सजा बढ़ाने और याचिकाकर्ता

को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा देने की साजिश की बू आती है, इसलिए यह न्यायालय प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को कानून के तहत स्वीकार्य अन्य परिणामी लाभों के साथ 100% पिछला वेतन देने का निर्देश देना उचित और उचित समझता है।

13. इस मोड़ पर, यह कहना पर्याप्त होगा कि प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित निर्णय, **सी. नागराजू एवं अन्य** (सुप्रा), **समर बहादुर सिंह** (सुप्रा) और **स्मिता शरद देशमुख एवं अन्य** (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए, कानून का एक स्थापित प्रस्ताव निर्धारित करते हैं, जो विवाद में नहीं हैं, हालांकि वे वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वर्तमान मामले में विचाराधीन मुद्दे, जैसा कि पूर्वोक्त है, काफी विशिष्ट हैं।

14. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा उपरोक्त कारणों से रिट याचिका को उपरोक्त सीमा तक स्वीकार किया जाता है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

एस.एसबी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।